जिला सहकारी बैंक लिमिटेड जौनपुर की स्थापना व प्रगति

डॉ0 रितेश कुमार श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

सल्तनत बहादुर पी0जी0 कालेज, बदलापुर, जौनपुर, उ0प्र0।

Author Email: deepak41jyoti@gmail.com

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर की स्थापना "सहकारी समिति अधिनियम" 1904 के अन्तर्गत निबन्धन संख्या–2, 14 अगस्त 1907 ई0 को हुई। सर्वप्रथम सन् 1882 में विलियम वेडरबर्न तथा न्यायाधीश रानाडे ने सरकार से किसानों को ऋण देने के लिए सिफारिश की थी। इसके उपरान्त सन् 1892 में मद्रास सरकार ने फ्रेडरिक निकलसन को सहकारी अध्ययन करने हेतु जर्मनी भेजा जिन्होंने सन् 1895 में सहकारी समितियों की स्थापना किये जाने का सुझाव दिया और बताया कि जर्मनी की भाँति रैफिसन तथा शुल्ज डीलिटज समितियाँ खोली जाय यह समितियाँ ग्रामीण किसानों को तथा शहर में रहने वाले छोटे–छोटे दस्तकारों को ऋण प्रदान करती है। सन् 1898 में फ्रेडरिक निकलसन ने मद्रास सरकार की ग्रामीण ऋण ग्रस्तता की समस्या सुलझाने हेतु सहकारी साख समितियों को संगठित करने का सुझाव दिया।

निकलसन की रिपोर्ट पर सन् 1901 के अकाल आयोग की सिफारिश पर सन् 1904 में सहकारी समिति कानून बनाया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मितव्ययिता स्वयं सेवा तथा किसानों व कारीगरों में सहयोग की भावना जागृत करना था। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना की गयी।[1]

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर के विकास का अध्ययन दो चरणों में किया जा सकता है–

I. प्रथम चरण–

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर अपने जीवन के प्रारम्भिक दौर में प्राथमिक समिति के रूप में कार्य करता रहा। इस अवधि में बैंक का कार्यक्षेत्र सीमित था तथा इस बैंक का प्रमुख कार्य सहकारी साख समितियों को ऋण प्रदान करना था। उस समय बैंक की कोई भी शाखा नहीं खोली गयी। इस बैंक के कार्य क्षेत्र का निश्चित सीमा निर्धारण न होने के कारण इनके द्वारा प्रदान की गयी सेवायें कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थे। जिसके परिणामस्वरूप इनके द्वारा प्राप्त जमा की रकम कम थी। इसमें प्राथमिक समितियों के साथ कुछ व्यक्ति भी सदस्य होते थे, जिन्हें व्यक्तिगत सदस्य या पूर्वाधिकारी अंशधारी कहे जाते थे, जिसके कारण ये सदस्य ही इनके प्रबन्ध में हिस्सा लेते थे क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई इस प्रबन्ध में हिस्सा नहीं ले सकता था।

II. द्वितीय चरण–

उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 लागू हुआ जिसके परिणामस्वरूप शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुर्नस्थापन कार्यक्रम को लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बैंक को भी शामिल किया गया। "आल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी 1969 ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक जिला सहकारी बैंक के लिए जो कि भारी अतिदेयों के कारण पर्याप्त रूप से कार्य करने में असमर्थ है उसके लिए पुर्नस्थापन कार्यक्रम बनाया जाय।"[2]

"पुर्नस्थापन कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या ए0सी0डी0आर0सी0 645 आर (जेन) (1972–73) से चलाया जा रहा है।[3] इस योजना के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में 35 बैंकों का चयन किया गया था जिसमें जिला सहकारी बैंक, जौनपुर भी सम्मिलित था। वर्तमान में कुछ दुर्बल बैंक है जिसमें से कुछ जिला सहकारी बैंकों को नाबार्ड ने चिन्हित करके पुर्नस्थापन कार्यक्रम लागू किया है। ऐसे बैंक जिनकी संकलित हानियों एवं अशोध्य तथा संदिग्ध ऋण बैंक के नियमों से बनाये गये समस्त निधियों से अधिक हो तथा जिनकी 3 वर्ष से अधिक की बकाया बैंक की चुकता हिस्सा पूँजी तथा समस्त निधियों से बैंक की हानियां तथा अशोध्य ऋण घटाने के बाद अवशेष के 10 प्रतिशत से अधिक हो चिन्हित बैंक की श्रेणी में आते है।

जिला सहकारी बैंक जौनपुर इस श्रेणी में है। इस प्रकारयह दुर्बल बैंक की श्रेणी में आता है तथा यह बैंक चिन्हित बैंक की श्रेणी में भी आता है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मार्गदर्शी परिपत्र के अनुसार दुर्बल जिला सहकारी बैंकों को निम्न बिन्दूओं पर प्रत्येक वर्ष का समयबद्ध कार्यक्रम बनाना होता है।

I. बकाया का सत्यापन करना।

II. बकाया की वसूली एवं वसूली की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना।

III. ऋण नीति व कार्य विधि का अभिनवीकरण करना।

IV. सर्वांगीण विकास हेतु समितियों का चयन करना।

V. बैंक व समितियों की निजी पूँजी में वृद्धि हेतु अंश पूँजी में राज्य सरकार की भागीदारी हेतु बाधित धन का आकलन करना।

VI. निक्षेप संचय करना।

[1] सेठ, एम0एल0, मुद्रा अधिकोषण तत्व, पृ0–261।
[2] आल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी 1969, पृ0 439–40।
[3] उप निबन्धक कार्यालय से प्राप्त।

VII. पर्यवेक्षण व्यवस्था सुदृढ़ किया जाना।

VIII. नान ओवर ड्यू कवर में वांछित सुधार हेतु राज्य सरकार से सहायता के रूप में अवधि ऋण प्राप्त करना।

IX. पुर्नस्थापना कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई प्रगति का जिला समीक्षा समिति की बैठक में त्रैमासिक समीक्षा करना।

बकाया के सत्यापन के लिए समिति स्तर पर तीन साल से ऊपर के बकायों का सत्यापन निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुसार कराया जाता है ताकि यह जानकारी प्राप्त हो सके कि बकायों में वृद्धि के क्या कारण हैं? तथा स्वैच्छिक एवं अस्वैच्छिक बकायेदारों को चिन्हित किया जा सके। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त यह भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कि बकाये की कितनी राशि वसूली योग्य है तथा कितनी वूसली योग्य नहीं है।

बकायेदारों के विरूद्ध वसूली हेतु सामान्य कार्यवाही के साथ–साथ कुछ उत्पादक कार्यवाही धारा–95 'क' के प्राविधान के तहत भी की जाती है। बकायेदारों की सूची समितिवाद/ब्लाकवार तैयार की जाती है। इसके बाद जिला वितरण, बकाया वसूली, निक्षेप संचय के लक्ष्यों के बारे में की जाती है। समीक्षा समिति की बैठक त्रैमासिक आयोजित की जाती है। कभी–कभी नाबार्ड के अधिकारियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

III. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड जौनपुर का कार्यक्षेत्र

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर जनपद तक ही सीमित है। जिला सहकारी बैंक का उद्देश्य ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करना तथा ग्रामीण साख प्रदान करना है। इनके कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि, ये अपनी पूर्ण क्षमता पर व्यवसाय कर सकें तथा अपने कार्यों को सुव्यवस्थित ढ़ंग से सम्पादित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को कार्य देने के साथ–साथ उनका व्यय भी उठा सकें। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उसका कार्यक्षेत्र इतना अधिक विस्तृत न हो कि वह उन प्राथमिक समितियों को जिनके लिए इसकी स्थापना की गयी है, पर्याप्त रूप से सहयोग न दे सके तथा प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित न कर सकें "मैकलेगन समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन बैंकों का कार्यक्षेत्र इतना ही चाहिए कि जितना कि ये सुविधापूर्वक कुशलता से कार्यान्वित कर सकें।"[4] प्रत्येक जिला एक सहकारी बैंक की नीति का अनुसरण करते हुए अथवा समर्थन करते हुए "अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने सुझाव दिया था कि उनके आदर्श एवं अनुकूलतम आकार के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में एक सहकारी बैंक हो।"[5] वर्तमान समय में प्रमुख रूप से एक जिले में एक सहकारी बैंक स्थापित करने की नीति का अनुसरण किया हा रहा हैं यह नीति बैंक की सुदृढ़ता पर विशेष जोर देती है। इस नीति के परिणामस्वरूप इन बैंकों को एक सशक्त इकाई के रूप में प्रतिस्थापित किया गया ताकि वे अपने अधीन कार्यरत प्राथमिक समितियों के कार्यों को और भी अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से सम्पादित कर सकें।

इसी नीति के तहत जौनपुर जनपद में कार्यरत एक अन्य केन्द्रीय सहकारी बैंक रानीपुर का विलय जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर में वर्ष 1966 में किया गया। विलय के बाद रानी बैंक एक स्वतंत्र बैंक न होकर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड जौनपुर की एक शाखा बन गयी, जो वर्तमान में भी कार्यरत है।

सन्दर्भ

1. माथुर, बी0एस0 : सहकारिता, साहित्य भवन आगरा।
2. रूद्रदत्त, के0पी0एम0 : भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2005।
3. जैन, एस0सी0 : एग्रीकल्चरल पालिसी इन इण्डिया, एलाइड पब्लिसर्स, नई दिल्ली, 1967।
4. रिपोर्ट ऑफ द बैंकिंग कमीशन, 1972।
5. रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन कोआपरेशन।
6. रिपोर्ट ऑफ दी आल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी।
7. योजना।
8. इकोनामिक टाइम्स।
9. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन।

[4] चौबे, बी0एन0, प्रिन्सपल एण्ड प्रैक्टिस ऑफ कोआपरेटिव बैंकिंग इन इण्डिया, पृ0–78।
[5] चौबे, बी0एन0, एग्रीकल्चरल बैंकिंग इन इण्डिया, पृ0–144।